छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

फरवरी–अप्रैल, 2020 सत्र

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 को

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा

दिनांक 24 फरवरी,2020 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाशण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
11. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
16. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
17. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. घर पहुंच जाति प्रमाण–पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र सेवा दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. 200 फूडपार्क की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है ।
3. दो वर्षों से धान खरीदी का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
4. दिनांक 1 से 30 नवम्बर, 2018 के मध्य किसानों द्वारा नगद पटाये गये ऋण को वापस किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
6. स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को परिवहन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
7. मितानिनों को 5000/– मासिक वेतन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञों की भती करने का उल्लेख नहीं है।
9. ई–वे बिल प्रक्रिया बंद करने का उल्लेख नहीं है।
10. रबी फसल का मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में लगातार नीचे जा रहे जलस्तर के संबंध में उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में रेल कॉरीडोर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
13. सहकारी समितियों को 100 प्रतिशत अनुदान पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित कराने उल्त्लेख नहीं है।
14. तिरंगा आटो चालू करने का उल्लेख नहीं है ।
15. सातवें वेतनमान में केन्द्र अनुसार भत्ते प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
16. परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
17. वर्ष में चार बार मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
18. सभी शहरी नागरिकों को टूबीएचके आवास प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
19. 60 वर्षीय किसानों को 1000 रूपये व 75 वर्षीय किसानों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
20. किसान आयोग के गठन करने का उल्लेख नहीं है।
21. गन्ना का समर्थन मूल्य 355 रूपये प्रतिक्विंटल करने का उल्लेख नहीं है।

22. बेमौसम वर्षा से रबी फसल खराब होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश में किसानों से पूर्ण धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

24. बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

25. बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में दागौरी व अन्य क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

26. सरकारी सेवाओं को घर पहुंच प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश की सभी माताओं का प्रतिमाह 500 रूपये भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

28. सिंचाई व लिफ्ट एरिगेशन के लिये निःशुल्क विद्युत संसाधन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

29. जलसंसाधन नीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

30. रोजगार आयोग के गठन करने का उल्लेख नहीं है।

31. स्कूल के अन्य कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

32. आटो रिक्शा पर प्रदूषण शुल्क कम करने का उल्लेख नहीं है।

33. लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री और मंत्री को भी लाये जाने का उल्लेख नहीं है।

34. सरगुजा, बस्तर और सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

35. पेट्रोल व डीजल में वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

36. कक्षा नवमीं के छात्रों को सायकिल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

37. विद्या मितानिनों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

38. मंडी शुल्क समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

39. ग्रामीण गरीबों के आवास एवं बाड़ी के लिये जमीन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

40. सातवें वेतनमान का शेष एरियर्स की राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के मितानिनों को 5000 रूपये मासिक पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश के दिव्यांगजनों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की किसी बात का उल्लेख नहीं है ।
3. प्रदेश में किसान आयोग का गठन किये जाने संबंधी किसी बात का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त करने संबंधी कोई बात का उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1000/–रूपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1500/–रूपये देने की बात का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश में सिकलसेल के मरीजों को निःशुल्क ईलाज किये जाने संबंधी किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
7. पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने की कोई बात का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों को नियमितिकरण करने हेतु किसी बात का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में संपत्तिकर की दर को आधा करने संबंधी किसी बात का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में शराबबंदी किये जाने संबधी किसी बात का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के किसानों को धान का दो साल का बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के बेरोजगारों को 2500/– रूपये बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
13. प्रदेश में आउटसोर्सिंग समाप्त कर शासकीय विभागों में एक लाख पदों पर भर्ती करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में प्रशिक्षु को 10000/–रूपये मासिक भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश में कार्यरत महिला स्वसहायता समूहों का कर्जमाफ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
16. प्रदेश में इंदिरा पेंशन योजना की राशि बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. राजनांदगांव हॉकी स्टेडियम फेस–2 का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. प्रदेश में घर पहुंच सरकारी सेवायें प्रदान किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश में हाथियों से नुकसान होने पर 10 लाख रूपये की राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश की सहकारी समितियों को दुधारू पशु गाय देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह एक रूपये किलो की दर से 35 किलो चांवल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
2. महिलाओं के देर रात्रि यात्रा के लिये तकनीक से लैंस विशेष वाहन की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
3. दैनिक मजदूरों के लिये एक सम्मानजनक आय सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
5. स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को परिवहन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
6. शासकीय विभागों में एक लाख पद भरने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. बे–मौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिये मुआवजा प्रदान करने कोई उल्लेख नहीं है।
8. धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
9. बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिये नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।
10. बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
11. सार्वभौमिक हेल्थ केयर कार्यक्रम को विस्तृत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. किसान आयोग का गठन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
14. आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
15. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल कोटे से नौकरी प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. पुलिस परिवारों को पेंशन में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
17. महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
18. 10 लाख बेरोजगार युवकों को मासिक अनुदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
19. चार बार मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
21. गांव गंगा योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
22. अनियमित कर्मचारी को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

23. जाति/जन्म प्रमाणपत्र की घर पहुंच सरकार सेवा देने का उल्लेख नहीं है।
24. तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की आय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
25. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।
26. शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
27. निजी स्कूलों की मनमानी रोकने फीस नियामक आयोग के गठन करने का उल्लेख नहीं है।
28. 50 हजार शिक्षकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
29. छात्र–छात्राओं को सायकल वितरण करने का उल्लेख नहीं है।
30. छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
31. हवाई एंबुलेंस सेवा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
32. शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है।
33. ग्रामीण क्षेत्रों में पांच सदस्यीय परिवार को आवास व बाड़ी के लिये जमीन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
34. दो साल का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
35. बेरोजगारों को 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
36. शहरों में सम्पत्ति कर आधा करने का उल्लेख नहीं है।
37. विद्या मितानिनों का नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
38. शहरी बेघरों को 2 बीएचके मकान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
39. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति कर समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
40. हाथी पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
41. महिला स्व–सहायता समूहों का कर्जा माफ करने का उल्लेख नहीं है।
42. राष्ट्रीयकृत बैंकों का दिनांक 1 से 30 नवम्बर, 2018 तक कर्ज पटा चुके किसानों के कर्ज की राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
43. 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
44. लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री/मंत्री को शामिल करने तथा नियम लागू किये जाने का उल्लेख नहीं है।
45. नक्सल समस्या के समाधान के लिये नीति का उल्लेख नहीं है।
46. नक्सल प्रभावित पंचायतों को एक – एक करोड़ रूपये प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
47. मेडिकल कालेजों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तन करने का उल्लेख नहीं है।
48. पेट्रोल–डीजल में वैट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

49. पुलिस सुधार कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

50. पुलिस कर्मचारियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

51. मितानिनों का मानदेय 5000 रूपये करने का उल्लेख नहीं है।

52. हर ब्लॉक में 100 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी बनाने का उल्लेख नहीं है।

53. जिला समिति को जिला शासन का स्वरूप बनाने का उल्लेख नहीं है।

54. 200 फूड पार्क का उल्लेख नहीं है।

55. निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के प्रशिक्षु को 10 हजार रूपये मासिक भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

56. ''रोजगार आयोग'' का उल्लेख नहीं है।

57. विधायक विश्राम गृह/निवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

58. 108 वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

59. हर ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज का उल्लेख नहीं है।

60. मंडी शुल्क समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

61. सहकारी समितियों को दुधारू गाय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

62. सामान्य एवं पिछड़ वर्ग के छात्रों के लिये प्रत्येक जिले में छात्रावास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

63. वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक पोषाहार वितरण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिये चार स्तरीय समयमान वेतनमान का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख नहीं है ।
3. निजी स्कूल कॉलेजों में फीस निर्धारण के लिए नियामक आयोग बनाने का उल्लेख नहीं है।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है ।
5. जिला मुंगेली के जरहागांव में शासकीय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है ।
6. नर्सिग स्टॉफ अंतर्गत एनएमए के 3 हजार एवं 4 हजार स्टॉफ नर्स की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के ए.पी.एल. सहित प्रत्येक परिवार को 1 रूपये किलो में चांवल उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. सामान्य वर्ग के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्रावास निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
9. छात्राओं को निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में वनों की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई उल्लेख नहीं है ।
13. प्रदेश में गोठान हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
14. पोस्ट ग्रेजुएट छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश में हवाई एबुंलेस की व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
16. सरगुजा, बस्तर और सुपेबेड़ा में हवाई एंबुलेस सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में बाड़ी हेतु जमीन उपलब्धता का उल्लेख नहीं है।
18. तेंदूपत्ता संग्राहकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य का बोनस उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
20. शासन के घोषणानुरूप राज्य में शराबबंदी के संदर्भ में कोई कार्यवाही किए जाने का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश के प्रशिक्षुओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा दुधारू गाय वितरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

24. तेंदूपत्ता श्रमिकों के नियमितिकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश में इंदिरा पेंशन योजना में राशि प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

26. जिला मुंगेली के जरहागांव एवं बरेला में नगर पंचायत प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

27. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के संबंधी में कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश का नौजवान नशे की गिरफ्त में आ रहा है, रोकथाम किये जाने संबंधी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री हो रही है, रोकथाम के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में असमय हुई बारिश से किसानों की हुई क्षति हेतु मुआवजा राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के किसानों की पूरी धान खरीदी नहीं हुई। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
6. प्रदेश में शराब बंदी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
7. आर्सेनिक आयरन वाले अशुद्ध पेयजल के स्त्रोतों को शुद्ध करके पेयजल उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. पुराने अभियान के नाम बदले गये हैं जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
9. आंगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल में कब तक तब्दील होंगे इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के कार्यक्षेत्र या संसाधन बजट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
11. राज्य कर्ज में डूब रहा है इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
12. युवाओं को रोजगार दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
13. उच्च शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली हैं, शेष रिक्त पदो ंके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में कन्या छात्रावास कब तक खुलेंगे, कितनी सीटें होंगी, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति क्या होगी, कब तक बनेगी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
16. गोठानों से क्या–क्या लाभ कितने समूहों को हुआ है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
17. अनियोजित शहरीकरण हो रहा है, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

18. प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को प्रभावीढंग से लागू नहीं किया गया है, प्रभावीढंग से लागू करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
19. अंतर्राष्ट्रीय क्रेता –विक्रेता सम्मेलन में क्या–क्या लाभ होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।
20. इंद्रावती विकास प्राधिकरण के बजट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
21. सरकार ने ग्रामोद्योग के लिये कोई नीति नहीं बनाई है, नीति बनाये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
22. बैंक सखियों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, समय पर भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
23. विगत एक वर्ष में गौरव पथ में कोई कार्य नहीं किया गया है, कार्य किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के संधारण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
25. पंचायत राज संस्थाओं (14वें वित्त आयोग) की राशि का दुरूपयोग हो रहा है, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में एकलव्य विद्यालय कब तक खुलेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में सिंचाई योजना की संख्या का उल्लेख है, योजनापूर्ण की अवधि का कोई उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में वन प्रबंधन समितियों की क्षमता में वृद्धि किये जाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है।
29. लोहाण्डीगुड़ा में किसकी जमीन किसको वापस की गई इसका कोई उल्लेख नहीं है।
30. पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन का दुरूपयोग हो रहा है, रोकथाम किये जाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।
32. गुड़ 17 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बहुत मंहगा दिया जा रहा है, राशि कम किया जाने का उल्लेख नहीं है।
33. दो साल से तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस नहीं दिया जा रहा है, बोनस दिये जाने उल्लेख नहीं है।
34. वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निरस्त दावों की समीक्षा कौन, कब तक करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।

35. लेमरू एलिफेंट रिजर्व की बात कही जा रही है, किंतु अवधि का कोई उल्लेख नहीं है।
36. नगरीय निकाय में अनियमित तरीकों से बहुमत जुटया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है।
37. महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर वर्षभर कार्यक्रम किया जाने की रूपरेखा का उल्लेख नहीं है।
38. कौन से वैज्ञानिकों से किस प्रकार तालाबों के विकास की परियोजना तैयार की गई है, इसका उल्लेख नहीं है।
39. अबूझमाड़ क्षेत्र को वन अधिकार कब तक दिया जायेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।
40. स्वामी विवेकानंद स्मारक का स्वरूप क्या होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।
41. विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड कब से कार्य आरंभ करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।
42. महात्मागांधी रोजगार योजना में मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है, शीघ्र भुगतान किया जाने का उल्लेख नहीं है!
43. एक वर्ष में एक भी खाद्य प्रसंस्करण ईकाई आरंभ नहीं की गई है, आरंभ किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
44. शिक्षकों के हर वर्ग के लाखों पद रिक्त हैं, शीघ्र नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
45. राम वन गमन पथ कैसा होगा, विस्तार से कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
46. धमतरी में मेडिकल कॉलेज आरंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
47. भू–माफिया बढ़ रहे हैं, रोकथाम के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
48. विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्यों में प्राथमिकता दिया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
49. पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कोई नीति विषयक बात का कोई उल्लेख नहीं है।
50. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
51. कुरूद में पॉलीटेक्नीक कॉलेज आरंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
52. भखारा को तहसील बनाने की घोषणा की गई थी, घोषणा पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
53. सरकार कानून व्यवस्था सुचारू बनाये रखने में विफल रही है।
54. ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों से स्वीकृत कामों के पैसे वापस सरकार ने बुला लिये है, स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
55. शहरी आवास का पट्टा अभी तक वितरित नहीं किया गया है, वितरण किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
56. संपत्तिकर आधा करने की घोषणा को पूरा नहीं किया गया है, घोषणा कब तक पूरी होगी इसका कोई उल्लेख नहीं है।

57. किसानों का पूरा बिजली बिल माफ किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

58. किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

59. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाने का उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश में जगह–जगह पशुधन का नुकसान (मौत) हो रहा है, बचाये जाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

61. प्रदेश के किसानों के धान की जबरदस्ती जब्ती की गई है, छोड़े जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

62. प्रदेश के किसानों के धान का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, समय पर भुगतान किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

63. प्रदेश के व्यापारियों के वैध धान की भी जब्ती की गई है, छोड़े जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

64. अवैध रेत परिवहन को रोकने के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

65. सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक पद रिक्त हैं, शीघ्र नियुक्ति किया जाने का उल्लेख नहीं है।

66. मनरेगा मजदूरों को 100 दिन रोजगार देने में असफल रही है, रोजगार दिया जाने का उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश में सारे निर्माण कार्य बंद हैं, निर्माणकार्य शीघ्र आरंभ किया जाने का उल्लेख नहीं है।

68. खाद्य, बीज की कमी को पूरा करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

69. किसानों को 2500/–रूपये प्रति क्विंटल राशि देने का उल्लेख नहीं है।

70. प्रदेश में अपहरण फिरौती की घटनायें बढ़ रही हैं, रोकथाम की योजना का उल्लेख नहीं है।

71. स्काईवाक के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

72. ठंड में लोग मर रहे हैं, उसके निदान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

73. प्रदेश में रेत की रॉयल्टी चोरी रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

74. प्रदेश में प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

75. रायपुर के एक्सप्रेस वे की जांच के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

76. बजट के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी जा रही है, स्वीकृति दिया जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

77. प्रदेश में असमय बारिश होने से धान की फसल को नुकसान हुआ है, मुआवजा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

78. प्रदेश में रेत खदानों में निर्धारित सीमा से अधिक और मशीनों से खुदाई की जा रही है। रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

79. किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कर आतंकित किया जा रहा है, जांच कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कितनी घर पहुंच सरकारी सेवा प्रदान की गई का उल्लेख नहीं है।
2. कचरा मुक्त पिछले 1 वर्ष में कितने बने व सत्र 20,21 में कितने शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य है, इसका उल्लेख नहीं है।
3. आउट सोंर्सिग किस–किस विभाग में कहां–कहां बंद हुई इसका उल्लेख नहीं है।
4. शासकीय कर्मचारियों हेतु क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतन मान लागू करने का उल्लेख नहीं है।
5. कितने ग्रामों को तथा कितने ग्रामों के पारा टोला को ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जायेगा, इसका उल्लेख नहीं है।
6. अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के लिये मुआवजा बाजार दर से चार गुना दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
8. महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जावेगी जिसका उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि मंडी भाटापारा के नवीन मंडी प्रांगण के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के पर्यटन स्थलों तथा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भवनों से संबंधित कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
11. भाटापारा शहर के ऑडिटोरियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
12. नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
13. संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
14. हाईस्कूल पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त में सायकल देने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है।
16. मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के समस्त वृद्धों को पेंशन योजना में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
18. दो वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों के शिक्षक के रूप में नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

19. जनपद सशक्तिकरण हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
20. लोकपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों को लाने का उल्लेख नहीं है।
21. सड़क में लावारिस पशुओं जिसके कारण सार्वजनिक सड़क दुर्घटना होती है इसके लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
22. वादे के अनुसार किसानों को दो वर्ष के बाकी बोनस को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
23. कृषकों को पेंशन योजना में जोड़नें का उल्लेख नहीं है।
24. भाटापारा विधानसभा की प्राथमिक शाला, सिल्वा, जौराभाठा व रिगनी के पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
25. भाटापारा विधानसभा के पूर्व माध्यमिक शाला घुर्रोबांधा तथा हाईस्कूल टोनाटार व संजारी नवागांव के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
26. भाटापारा शाखा नहर के कार्य को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
27. भाटापारा में 100 बिस्तरों का चिकित्सालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
28. किसानों कों सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन देने के लक्ष्य का उल्लेख नहीं है।
29. पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को उज्जवल योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य का उल्लेख नहीं है।
31. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों के भवन निर्माण के लक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं है।
32. महिला स्वसहायता समूह के ऋण माफ करने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में पूर्ण शराब बंद करने का उल्लेख नहीं है।
34. पंचायतों में उम्मीदवारों की न्यूतम योग्यता में कक्षा को हटाकर साक्षर कर दिया गया है इसके हटाने का मूल कारण क्या है का उल्लेख नहीं है।
35. पांच वर्ष में सिंचाई क्षमता दुगनी करने तथा उसके लिये राशि उपलब्ध कराने के संबंध का उल्लेख नहीं है।
36. गौठान का निर्माण किस मद की राशि के हो रहा है, इसका उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के प्रत्येक जिले में फूडपार्क कब तक स्थापित हो जावेगा का उल्लेख नहीं है।
38. धान से इथेनाल बनाने पर प्रति लीटर क्या खर्च आयेगा इसका उल्लेख नहीं है।

39. किसानों का मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऋण तथा राष्ट्रीयकृत बैंको से लिया गया ऋण कब तक माफ किया जावेगा, इसका उल्लेख नहीं है।

40. किसानों को 2500/– रू. क्विंटल धान का सर्मथन मूल्य कब तक प्रदान कर दिया जावेगा, समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

41. अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने हेतु, किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

42. मानव तस्करी को रोकने का उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों का उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश में रबी फसलों हेतु सिंचाई का रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

45. सरगुजा संभाग व अन्य अनुसूचित जनजाति ब्लाकों में गुड़ देने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों पर प्रदेश में अत्याचार बढ़ा है जिस पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत जैसे लोमस ऋषि आश्रम, ऋंगी ऋषि आश्रम आदि के विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।

48. पिछले 14 माह से अपराधिक प्रकरणों में फंसे आदिवासियों को जांच कराकर छोड़ने की बात पर सिर्फ समिति गठित करने की खाना पूरी हुई है । इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

49. नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोक तांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त होने से बचाने के लिए उचित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

50. किसानों को धान का मूल्य 2500/– रूपये प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में चिटफंड कंपनी के जमाकर्ताओं की राशि की वापसी का उल्लेख नहीं है।

52. 2019–20 के बजट में सम्मिलित सड़कों की प्रशासकिय स्वीकृति जारी करने का उल्लेख नहीं है।

53. किसानों का बिजली बिल हाफ करने का उल्लेख नहीं है।

54. एक वर्ष पूर्व की निर्माणाधीन जल आवर्धन योजना को पूर्ण करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

55. आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

57. बस्तर संभाग को मलेरिया मुक्त करने एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता का उल्लेख नहीं है।

58. प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों में खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायकता योजना अंतर्गत अनिवार्य चिकित्सा लागू करने का उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश में सीवरेज का पानी नदी में जाने से रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

61. प्रदेश में नये टाउनशिप एवं कालोनी निर्माण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

62. नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति कर का आधा करने का उल्लेख नहीं है।

63. प्रदेश में छोटे भू–खंडों की रजिस्ट्री एवं नामांतरण तथा राजस्व रिकार्ड में नक्शा दुरूस्त करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों को स्वयं का भवन एवं स्वीकृत सेटअप अनुसार स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

66. प्रदेश में स्थापित वृहद उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलने का उल्लेख नहीं है।

67. गौठानों व छोटे कारखानों के उत्पाद में कितनी मानव श्रम शक्ति लगी है और वर्ष में कितने का उत्पादन किया का उल्लेख नहीं है।

68. बुनकरों व शिल्पकारों के विकास हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

69. ग्रामोद्योग स्थापित करने पर दी जाने वाली सब्सिडी भाटापारा क्षेत्र में क्यों बंद की गई का उल्लेख नहीं है।

70. 3000 ''बीसी सखी सेवा' शुरू करने का लक्ष्य है तथा लक्ष्य कब तक पूर्ण होगा, समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

71. प्रधानमंत्री सड़क व मुख्यमंत्री सड़क जिसके निर्माण को 5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है उसके नवीनीकरण हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश में निवासरत प्रत्येक परिवार को 13 किलो चांवल देने का उल्लेख नहीं है।

73. भाटापारा व मनेन्द्रगढ़ का नवीन जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

74. प्रदेश के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

75. सदन के प्रस्ताव अनुसार सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

76. प्रदेश में पंजीकृत सभी किसानों का धान खरीदनें हेतु समय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

77. प्रदेश में अवैध कटाई से घट रहे वनक्षेत्र के संबंध में का उल्लेख नहीं है।

78. दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में हुई वर्षो के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के किसानों द्वारा 1 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2018 तक पटाये गये ऋण की राशि की वापसी का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के किसानों को दो वर्षो का धान का बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में निरंतर बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु ठोस नीति निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कलेक्टर दर पर मानदेय दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में मितानिनों को पांच हजार वेतन दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. नक्सलवाद के विरूद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने की स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
7. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिये शेड, पानी एवं किसानों के बैठने हेतु व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. सातवें वेतनमान का एरियर्स व डी.ए. बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
10. सहकारी समितियों में 100 प्रतिशत अनुदान पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने का उल्लेख नहीं है।
11. छात्रों को साइकिल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. ग्रामीणों को आवास व बाड़ी दिये जाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
13. जांजगीर–चांपा जिले के नवागढ़ में आई.टी.आई. खोलने एवं ग्राम हरदी से हड़हामहान तक सड़क निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
14. जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज प्रांरभ करने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीनों के अवैध विक्रय को रोकने का उल्लेख नहीं है।
16. चांपा नगर में हसदों नदी पर नया पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में शराबबंदी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने व बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में धान खरीदी की अवधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के किसानों से धान खरीदी 2500/– रूपये में किए जाने का उल्लेख नहीं है।
21. जनवरी व फरवरी 2020 में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में कृषिमण्डी कर समाप्त किए जाने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में किसान आयोग गठन किए जाने का उल्लेख नहीं है।
24. गन्ना का समर्थन मूल्य 355 रूपये प्रति क्विंटल दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 100 एकड़ बंजर भूमि का चिन्हांकन कर उद्यानिकी कार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के 60 वर्षीय किसानों को 1000/– रूपये तथा 75 वर्ष के किसानों को 1500/– रूपये पेंशन दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में रोजगार आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में प्रशिक्षुओं को 10000 हजार रूपये मासिक दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
29. रात्रि में तिरंगा ऑटो चलाने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रत्येक विकासखंड में कोल्ड स्टोरेज हेतु अनुदान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्ड्रा का भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
2. शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकरिया का भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास खोडरी के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
4. प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास केंवची के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
5. बेरोजगारों को 2500/– (पच्चीस सौ रूपये) बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 1500/–(पंद्रह सौ रूपये) देने का उल्लेख नहीं है।
7. जिन किसानों को टोकन जारी करने के बावजूद धान नहीं खरीदा गया उन किसानों के धान को खरीदने का उल्लेख नहीं है।
8. औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (पेण्ड्रा रोड) में उद्योगों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1 बिलासपुर नगर निगम की अमृत जल मिशन योजना हेतु जल आपूर्ति अहिरन नदी से खूंटाघाट डेम तक जल पहुंचाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

2 प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

3 प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से हवाई सेवा शीघ्र प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

4 प्रदेश में सीमेंट के दामों में वृद्धि की गई है, इसके रोकथाम की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5 लोरमी विधान सभा क्षेत्र की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने का उल्लेख नहीं है ।

6 प्रदेश के मनरेगा मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान शीघ्र किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7 प्रदेश में वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से हो रही मौतों के बाद भी वन्य प्राणियों की सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख नहीं है।

8 प्रदेश में धान खरीदी की तारीख बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

9 प्रदेश में निर्माणाधीन सड़कों, राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्ग में भ्रष्टाचार की जांच किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

10 प्रदेश में माह जनवरी–फरवरी, 2020 में हुई अचानक बारिश से कृषकों की फसल बर्बाद हुई है, किसानों को मुआवजा राशि दिया जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जांजगीर–चांपा जिले में सीमेंट कार्ययोजना द्वारा अकलतरा स्थित संयंत्र को चालू करने का उल्लेख नहीं है।
2. जांजगीर–चांपा जिले में न्युबेको मिस्टास संयंत्र द्वारा आदर्श पुनर्वास कानून का उल्लंघन करने का उल्लेख नहीं है।
3. जांजगीर–चांपा जिले में के.स. के. महानदी संयंत्र द्वारा आदर्श पुनर्वास कानून का उल्लंघन करने का उल्लेख नहीं है।
4. जांजगीर–चांपा जिले में लंबित वन पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में नदी किनारे बिजली व्यवस्था और तार विस्तार का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में कुआं संरक्षण का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में जल ग्रहण को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के कोसा बुनकरों को उत्पादन का समर्थन मूल्य में खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. जांजगीर–चांपा जिले में ग्राम रैनपुर, मदनपुर, नवागांव और बैजलपुर में सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत पानी पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।
10. जांजगीर–चांपा जिले के मयूर सागर परियोजना स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्माण सड़क की मरम्मत करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
12. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा में हाउसिंग बोर्ड कालोनी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के किसानों को रियायती दर पर जैविक खाद उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
14. जांजगीर–चांपा जिले में लीलागर व्यपवर्तन की लायनिंग कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में रबी फसल के उत्पादन को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।
16. जांजगीर–चांपा जिले में प्रत्येक विकास खण्ड में दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
17. जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम कापन में शक्कर कारखाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

18. प्रदेश में निजी बैंकों से लिये हुए कर्ज में छूट देने का उल्लेख नहीं है।
19. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील के केराकछार मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में 2 साल का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
21. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र रसेड़ा– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
22. जांजगीर–चांपा जिले में ठाकुर छेदीलाल स्मृति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
23. जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा बायपास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में 17 रूपये किलो गुड़ देने का उल्लेख नहीं है।
25. जांजगीर–चांपा जिले में मोजरबीयर पॉवर द्वारा जमीन वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।
26. जांजगीर–चांपा जिले में आधुनिक पॉवर द्वारा जमीन वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।
27. जांजगीर–चांपा जिले में कर्नाटक पॉवर द्वारा जमीन वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।
28. जांजगीर–चांपा जिले बलौदा विकासखण्ड में उसलापुर से खोहा सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
29. जांजगीर–चांपा जिले में ग्राम बलौदा में 132 के.व्ही. केन्द्र स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिका और कायकर्ताओं के पदों को भरने का कोई उल्लेख नहीं है।
31. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम बुड़गहन में धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
32. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम अमलीपाली में धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
33. जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में अधूरे आंगबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
35. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड स्थित इंदिरा उद्यान बायो डॉयवर्सिटी पार्क की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश में पूर्व में स्वीकृत डी.एम.एफ. के कार्यों को पुनः प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

37. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड स्थित दल्हा पहाड़ नेचर ट्रेल निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

38. जांजगीर–चांपा जिले में ग्राम चंगोरी से बिलासपुर जिले में ग्राम लुथरा तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

39. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील स्थित मधाईपुर उद्‌वहन सिंचाई योजना के संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

40. जांजगीर–चांपा जिले में ग्राम पहरिया बलौदा विकासखण्ड में शासकीय महाविद्यालय निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

41. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील स्थित पंतोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

42. जांजगीर–चांपा जिले में नरीयरा में महाविद्यालय की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

43. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा तहसील स्थित जर्वेग्राम उद्‌वहन सिंचाई योजना संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

44. जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा में ईएसके का अस्पताल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

45. जांजगीर–चांपा जिले के उसलापुर उद्‌वहन सिंचाई योजना संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश में सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

47. जांजगीर–चांपा जिले के परसाही में उद्‌वहन सिंचाई योजना संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में नगर सैनिकों को समान कार्य के लिये समान वेतन प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

49. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में करूमहूं से राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में शौचालय निर्माण के लंबित कार्यों का भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

51. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के करनकी माईनर का विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

52. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के हसदेव मिनिमाता बांध द्वारा छीतापाली नहर निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

53. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के छीतापाली स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

54. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में जावलपुर ग्राम हायरसेकेण्डरी भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

55. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में हसदेव बांगों मिनिमाता परियोजना के अंतर्गत बोकरामुड़ा, बोकरेल, खाखा नहर का विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

56. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम डोंगरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

57. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के बलौदा विकासखण्ड बरभाठा देवरी–कण्डरा पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

58. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में खरमोरा–पहरिया रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

59. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में ढोरला से चंदनिया सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

60. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा में गतवा हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

61. जांजगीर–चांपा जिले में आरसमेता स्थित साई लीलागर संयंत्र पुनः संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

62. जांजगीर–चांपा जिले में बंद के.वी.के. बायो एनर्जी संयंत्र पुनः संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

63. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में नवगवां हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

64. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में डोंगरी हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश में शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।

66. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड अर्जुनी हायर सेकेण्डरी स्कूल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

67. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम नवागांव से कलमीटार तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

68. जांजगीर–चांपा जिले से बिलासपुर जिले के बीच सोनडीह – ऊनी पुल तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

69. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में हसदेव मिनिमाता परियोजना के तहत् डोंगरी निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

70. जांजगीर–चांपा जिले में तिलाई से मुड़पार सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

71. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में हसदेव मिनिमाता परियोजना के तहत् छीतापानी नहर निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश में सोलर योजना के तहत् नेट बिलिंग योजना को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

73. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ढोरला–परसाही सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

74. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा नगर क्षेत्र में बंधवा तालाब गहरीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

75. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में ढरगा बहरा बांध गहरीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

76. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा एवं बलौदा विकासखण्ड में पड़रिया से ढोरला सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

77. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में सनीचरी बांध गहरीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

78. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड स्थित घाटादेई हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

79. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड स्थित परसदा हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

80. प्रदेश में हाथियों के विचरण के लिये कॉरीडोर स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

81. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम बछौद हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

82. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के झलमला हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

83. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के अकलतरा हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

84. प्रदेश में किलंकर को प्रदेश के बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

85. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा शासकीय इंद्रजीत महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

86. प्रदेश में गुणवत्ताविहीन राष्ट्रीय राज्य मार्ग निर्माण कार्यों को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।

87. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम अर्जुनी से कोटमीसोनार सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. महिलाओं की सुरक्षा हेतु तिरंगा आटो चलाने का उल्लेख नहीं है।
2. जाति प्रमाण–पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र की घर पहुंच सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
3. सातवें वेतनमान का एरियर्स प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
4. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का दर्जा प्रदान का उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश के वनग्रामों को राजस्व गांव में शामिल करने का उल्लेख नहीं है ।
6. प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन पांच सदस्य परिवार को घर और बाड़ी हेत भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
7. निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिये नियामक आयोग के गठन करने का उल्लेख नहीं है ।

12. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में 15 हजार शिक्षकों की 10 माह से बंद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रक्रिया पूर्ण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में रोजगार देने हेतु मनरेगा अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 100 एवं 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
3. किसानों की मागों को लेकर किए जा रहे विरोध में अनेक स्थानों पर किसानों पर किए जा रही लाठीचार्ज के संबंध में कार्यवाही किए जाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में प्रशासनिक लचरता एवं व्याप्त अराजकता की रोकथाम के लिए कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश के शिक्षा कर्मियों एवं कोटवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. विद्या मितान/अतिथि शिक्षको को नियमित किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में 2 वर्षो की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलियन किए जाने का उल्लेख नहीं है।
8. सरकार की घोषणा पत्र अनुरूप संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री एवं अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थो की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के किसानों को घोषणा के अनुसार धान का समर्थन मूल्य 2500/– रूपये दिया जाना था। वर्तमान में 1815 रूपये में धान खरीदा जा रहा है। शेष रूपये 685/– रूपये प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से खरीफ फसल एवं रबी फसल को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के किसान निर्धारित समय तक धान नहीं बेच पाये। खरीदी हेतु समय सीमा में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।

13. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के मितानिनों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
18. ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों को नियमित किए जाने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के आई.टी.आई में अतिथि शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
20. विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर की सड़कों का निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में स्वास्थ्य स्तर सुधारने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश के महाविद्यालयों में संकाय/ट्रेडों को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

13. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. 2500 रूपये में धान खरीदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. 2000 रूपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने कोई उल्लेख नहीं है।
3. देवभोग क्षेत्र के हीरा खदानों के उत्खनन के लिये निधि का कोई उल्लेख नहीं है।
4. दो वर्ष का धान पर बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम में शामिल वार्डो के विकास करने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
2. बेलतरा विधानसभा के फदहाखार वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के वन गांवों को राजस्व गांव बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
5. निजी स्कूलों, में फीस निर्धारण के लिए नियामक आयोग बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. नर्सिंग स्टाफ व ए.एन.एस. स्टाफ नर्स की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
7. यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का कोई उल्लेख नहीं है।
8. आउटसोर्सिंग समाप्त करके एक लाख पदों का भरने की कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में किसान आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।
10. नक्सलवाद से लड़ने का स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।
12. कृषकों को 60 वर्ष से अधिक उम्र का पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के किसानों के धान का बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के किसानों के बकाया कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
15. किसानों के धान खरीदी के समय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में शराब बंदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में अवैध रेत खनन व परिवहन को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
20. लावारिस मवेशियों को गौठान, गौशाला पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।
21. चिटफंड कंपनी के निवेशकों का पैसा वापसी का कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
23. मितानिनों को नियमित करने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर कोई स्पष्ट कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश के श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा व सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
26. औद्यौगिक क्षेत्रों में हो रही दुर्घटना एवं इसके रोकथाम व एक समान मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश मे कितने नरवा बनाये गये तथा इसे कितने लोग लाभन्वित हुए इसका उल्लेख नहीं है।
28. बेलतरा क्षेत्र के ग्राम पौसरा व बेलतरा को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।
29. बेलतरा विधानसभा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में कितनी बाड़ी बनी हैं, इसका उल्लेख नहीं है।
31. कॉलेज व स्कूली छात्र–छात्राओं का मुफ्त परिवहन देने का उल्लेख नहीं है।
32. 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गो को 1500 रू. प्रति माह पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के बने गौठानों में कितने मवेशी है का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
34. नगर निगम बिलासपुर के सीवरेज परियोजना को कब तक पूर्ण किया जायेगा का उल्लेख नहीं है।
35. नगर निगम बिलासपुर के अमृत मिशन योजना के विस्तार का उल्लेख नहीं है।
36. बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत बेलतरा में कॉलेज खोलने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
37. शहरी संपत्ति कर आधा करने का प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री, भंडारण को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
39. बेलतरा विधानसभा के ग्राम सेलर से पीपरा पहुंच मार्ग रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
40. बेलतरा विधानसभा के खैरा मुख्य मार्ग से यज्ञशाला मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
41. बेलतरा विधानसभा के रानीगांव, से जंजीराडीह रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
42. बेलतरा विधानसभा के ग्राम अकलतरी से नवेसा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
43. बेलतरा विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र कोनी में बिलासा ताल देवनगर मार्ग बनाने का उल्लेख नहीं है।
44. बेलतरा विधानसभा के करमा, नरभांठा, सरगाढ़ोड़ी मार्ग बनाने का उल्लेख नहीं है।
45. बेलतरा विधानसभा के गोंदईया से कलनीटार रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
46. कचरा मुक्त शहर बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
47. विशेष सुरक्षा कानून के संबंध के कोई उल्लेख नहीं है।

48. लोकपाल बिल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

49. प्रत्येक विकासखण्ड में फूडपार्क बनाने का उल्लेख नहीं है।

50. दिव्यांगों को पेंशन पन्द्रह सौ रूपये देने का उल्लेख नहीं है।

51. छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट तक निशुःल्क शिक्षा देने का उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर्स देने का उल्लेख नहीं है।

53. बेलतरा विधानसभा के नगर निगम मंगला के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

54. नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर जोरापारा तालाब का सौंदर्यीकरण का उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

55. बेलतरा विधानसभा के ग्राम लबराम से सरवनदेवरी रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

56. नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बेलतरा विधानसभा के डी.एल.एस. महाविद्यालय से पंचायत भवन रोड बनाने का उल्लेख नहीं है।

57. बेलतरा विधानसभा के मोपका के गुलाबनगर में सीमी रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

58. बेलतरा विधानसभा के हाईस्कूल सेलर व हाईस्कूल मोपका का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन किए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. जिला अस्पताल धमतरी में सिटी स्केन एवं सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
3. महिला नगर सैनिकों को देय मातृत्व अवकाश की अवधि 3 माह से बढ़ाकर 6 माह किए जाने एवं ड्यूटी समय 24 घंटे से कम करने का उल्लेख नहीं है।
4. धमतरी शासकीय अस्पताल में रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने का उल्लेख नहीं है।
5. नवीन स्वास्थ्य बीमा योजना अतर्गत पूर्व में शामिल, हटाये गये निजी अस्पतालों को पुनः सम्मिलित किए जाने का उल्लेख नहीं है ।
6. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. नगर सैनिकों के लंबित एरियर्स की राशि भुगतान किए जाने एवं वेतन में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
8. धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिर्रा से कोलियारी डुबान तक मार्ग डामरीकरण मार्ग से जोड़े जाने का उल्लेख नहीं है।
9. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं छात्राओं को सायकल वितरण योजना का उल्लेख नहीं है।
10. धमतरी विधानसभा क्षेत्र में छाती से सरसोंपुरी तक मार्ग डामरीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोड़रा (स) से नलियारा मार्ग डामरीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
13. धमतरी विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरेंगा, कण्डेल, अम्लाडोंगरी में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
14. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय महाविद्यालय में बाउंड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

15. धमतरी विधानसभा क्षेत्र के डूबान क्षेत्र सरियापारा नदी किनारे स्थित गांधी मंदिर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
16. धमतरी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में बॉटनी, जूलॉजी की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
17. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धमतरी पॉलिटेक्नीक कॉलेज रूद्री को इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
18. नगर पंचायत आमदी में खेल सुविधा हेतु स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
19. कुम्हारों के पास ईंट आदी निर्माण हेतु स्वयं की भूमि नहीं होने से दूसरे भू–स्वामी की जमीन उपयोग करते है उनके लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
20. धमतरी ग्रामीण शहरी मितानीन की मीटिंग एवं प्रशिक्षण हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
21. शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
22. शासकीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय में ऑडिटोरियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
23. जंगल सत्याग्रह में शहीद मीथु कुमार को उचित पहचान दिलाने, राष्ट्रीय स्तर पर शहीद घोषित कराने एवं उनके नाम से वीरता पुरस्कार एवं डाक टिकट जारी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
24. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत आमदी में महाविद्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
25. नगर पालिक निगम धमतरी में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
26. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बागतराई से मोखा मार्ग तक डामरीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
27. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देमार–परेवाडीह मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
28. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दर्री–कोलियारी–खरेंगा–बारना मार्ग नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
29. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरछेड़ी कण्डेल मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

30. शासकीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय में कन्या छात्रावास प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।

31. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से पूरी, डाही देवरी, सिहाद एवं भरवारा मार्ग चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।

32. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डांठीमाचा में सत्र 2018–19 में सुक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति कार्य का उल्लेख नहीं है।

33. समस्त शासकीय लिपिक वर्ग के वेतन विसंगति दूर कर वेतनमान में सुधार का उल्लेख नहीं है।

34. धमतरी में रत्नाबांधा चौक से रत्नाबांधा कॉलेज पहुंच मार्ग तक डिवायडर संहित विद्युत पोल स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

35. धमतरी से सिहावा चौक से लेकर नहर नाका चौक तक सड़क चौड़ीकरण कर पोल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

36. धमतरी नगर पालिका निगम में गोकुलनगर की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

37. मध्यान्ह् भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

38. धमतरी नगर पालिका निगम अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

39. धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाती में पुलिस चौकी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

40. धमतरी शहर के बाहर हाईटेक बस स्टेण्ड निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर सुधारने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में गरीब गर्भवती माताओं एवं बहनों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान प्रदान किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. निजी स्कूलों एवं कॉलेजो में फीस निर्धारण हेतु उचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में रिक्त नर्सिग स्टॉफ एवं ए.एन.एम. के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के युवा बेरोजगारों के उत्थान हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. उद्योगों वाले क्षेत्रों में पर्यावरण को बचाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. मजदूरों/श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार का उत्थान के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के बड़े उद्योगों में ईआईसी हॉस्पिटल में श्रमिकों (मजदूरों) के ईलाज कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. उद्योग क्षेत्रों में भारी परिवहन एवं ओव्हर लोड की गाड़ियों की रोकथाम के लिए योजना का उल्लेख नहीं है।
11. तकनीकी त्रुटि के कारण अनेक किसानों का धान खरीदा नहीं गया। त्रुटि सुधार कर धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश की स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख है, परंतु जर्जर स्कूल भवनों हेतु नवीन भवन का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु डॉक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में पुलिस के रिक्त पदों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है ।
8. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों का उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
9. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विवादित शराब भट्टियों को बंद करने का उल्लेख नहीं है।
10. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुलमुला व सलखन में नये महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।